राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1610/2012/भीलवाड़ा

मै0 लड्डूराम बाबूलाल भीलवाडा। ...अपीलार्थी

बनाम

1. उपयुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाड़ा ...प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा,
कर सलाहकार। ...अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.01.2018

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 19.04.2011 के द्वारा कुल मांग राशि रूपये 24,912/– को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है तथा उसके द्वारा वर्ष 2007–08 हेतु प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर ई.सी. पर आधारित प्राप्तियां 2,69,09,567/– रू. व बिना ई.सी. पर आधारित कार्य 65,75,203/– रू. था। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.03.2010 द्वारा कर निर्धारण किया, जिसमें ब्रिक्स पर करारोपण किया जाना छूट जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशाधित कर निर्धारण आदेश पारित किया। उक्त पारित संशोधित कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने पर उन्होने अपने अपीलीय आदेश दिनांक 21.05.2012 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके कर सलाहकार ने उपस्थित होकर कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी की ब्रिक्स में 25 प्रतिशत से अधिक राख मिली हुई थी, इस प्रकार इस पर पूर्ण कर से कर का आरोपण नहीं किया जा सकता। उन्होनें कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का मूल कर निर्धारण दिनांक 16.03.2010 को किया जा चुका था, परन्तु बाद में कर मुक्त ब्रिक्स को Disallow करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को विशिष्ट नोटिस नहीं दिया, जो कि न्यायहित में देना आवश्यक था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिल्डिंग बनाने का कार्य किया जाता है, एवं उक्त कार्य हेतु उसके द्वारा ब्रिक्स का उपयोग किया गया, जिनको बनाने में 25 प्रतिशत से अधिक राख का प्रयोग किया गया था। प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने ब्रिक्स में 25 प्रतिशत से अधिक राख मिली हुई, अतः यह कर मुक्त है या नहीं? इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.12(63)FD/Tax/2005-47 दिनांक 08.05.2006 निम्न प्रकार से है–

AMENDMENTS

In column No. 2 of S.No. 60, for the existing expression "Marble and other stone slurry, sludge and fly ash" the expression "All kinds of stone sludge, stone slurry, fly ash and the manufactured items having individually or jointly a minimum 50% in the contents of such manufactured products but in case of manufacturing of bricks this limit shall be 25% or more in its contents" shall be substituted;

इस प्रकार इस अधिसूचना से स्पष्ट है कि जिन ब्रिक्स में 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में राख मिली हुई है, राज्य सरकार द्वारा उन्हें कर मुक्त रखा गया है।

7. अतः अपीलीय आदेश को अपास्त किया जाता है, एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को कर निर्धारण अधिकारी को इस बिन्दु पर प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए ब्रिक्स की जांच कर कि उक्त ब्रिक्स में 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में राख का उपयोग किया गया था, पुनः विधिसम्मत रूप से आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य